दिनांक–12 फरवरी, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

1.	बिहार राज्य हज समिति को वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू० 30.00 लाख (तीस लाख रूपये) अतिरिक्त अनुदान एवं अगले पाँच वर्षों यथा 2013–14 से 2017–18 तक के लिए प्रति वर्ष रूपये 40.00 लाख (चालीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

2.	बिहार विद्युत विनियामक अयोग के न्याय निर्णायक अधिकारी के नियुक्ति एवं जॉच पड़ताल प्रक्रिया नियमावली की स्वीकृति के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

3.	बिहार सैन्य पुलिस–12, सहरसा के लिए सुपौल जिलान्तर्गत भीमनगर में अधिग्रहित भूमि पर मुख्यालय भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि ₹ 9986.472 लाख (निन्यानवे करोड़ छियासी लाख सैंतालीस हजार दो सौ रू०) की नई योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि का व्यय तीन चरणों में करने तथा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्यारम्भ हेतु ₹ 1000.00 लाख (दस करोड़ रू०) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

4.	बिहार राज्य चीनी निगम लि० पटना के सकरी एवं बिहटा इकाई के कर्मियों को एक्जीट सेंटलमेंट अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में वेतनादि मद में कुल ₹ 21,31,00,000 (इक्कीस करोड़ एकतीस लाख रू०) रू० मात्र की भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

6.	JNNURM योजना की तहत राज्य की राजधानी पटना एवं 140 अन्य शहरी स्थानीय निकायों में E-Municipality योजना एवं उस पर होने वाले संभावित व्यय कुल ₹ 4849.54 लाख (अड़तालीस करोड़ उन्चास लाख चौवन हजार रू० मात्र) की स्वीकृति।	6.	स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(निबंधन)

7.	राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु करवंचना को रोकने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची–I-A की मदों एवं दरों में संशोधन का प्रस्ताव।	7.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व के पथ संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मति के लिये बिहार पथ–आस्तियाँ अनुरक्षण नीति–2013 (Bihar Road Assets Maintenance Policy-2013) पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

9. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के कैम्पस में समरसेबुल बोरिंग, बिजली, वायरिंग, अकादमी के गोदाम तथा बिक्री शाखा में फर्श निर्माण तथा फर्नीचर हेतु कुल रूपये 19,53,015/–(उन्नीस लाख तीरपन हजार पन्द्रह) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति। — 9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार राज्य के उच्च न्यायालय (पटना उच्च न्यायालय) से सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं मा० न्यायाधीशों को घरेलू सहायता भत्ता स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. श्री श्रीचन्द्र पाठक, सब जज (निलम्बित), मुख्यालय, सहरसा को सजा के रूप में अनिवार्य सेवानिवृति करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13. वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वास्थ्य विभाग हेतु स्वीकृत उद्व्यय के अंतर्गत रू० 89.00 करोड़ (रूपये नवासी करोड़) मात्र की8 राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर उपबंधित कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. बिहार विधानमंडल के समक्ष बिहार सरकार के वित्तीय वर्ष 2011–12 के (1) वित्त लेखे (खंड 1 तथा 2) तथा (2) विनियोग लेखे का उपस्थापन। — 15. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

16. आर०ए०पी०डी०आर०पी० पार्ट–ए के अन्तर्गत पटना शहर में 34.36 करोड़ (चौंतीस करोड़ छत्तीस लाख) रूपये की स्काडा/डी०एम०एस० परियोजना की स्वीकृति एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा पावर फाइनॉन्स कारपोरेशन से 22.02 करोड़ (बाइस करोड़ दो लाख) रूपये ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार की गारंटी तथा 12.34 करोड़ (बारह करोड़ चौंतीस लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को वित्तीय वर्ष 2012–13 में ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

17. वर्ष 2012–13 में राज्यस्तरीय मुख्यालय के स्थापना, सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के कर्मियों को दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से षष्टम् वेतन पुनरीक्षण में वेतन भुगतान, पंचम वेतन पुनरीक्षण का बकाया भुगतान हेतु स्थापना मद में 5230.00 लाख (बावन करोड़ तीस लाख) रूपये की स्वीकृति। — **17. स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

18. देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब पर 10.00 (दस) रू० प्रति एल०पी०एल० की दर से कराधान, अनुज्ञाशुल्क को 70 (सत्तर) रू० प्रति एल०पी०लीटर से बढ़ाकर 90 (नब्बे) रू० प्रति एल०पी० लीटर करने एवं देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/IMFL एवं बीयर पर मद्य निषेध सेस अधिरोपित करने की स्वीकृति। — **18. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

19. राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को यू०जी०सी० वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

20. बिहार वित्त विधेयक, 2013 के माध्यम से विभिन्न कराधान संबंधी अधिनियमों में संशोधन। — **20. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

22. बिहार में शहरी विकास की आधारभूत विकास की योजनाओं के बेहतर वित्तीय सम्पोषण तथा प्रबंधन हेतु तथा 'बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' तथा उसके संचालन हेतु 'बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ट्रस्ट' के गठन की मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति के संबंध में। — **22. स्वीकृत।**